भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4098
25/03/2025 को उत्तरार्थ

विषय: तेलंगाना में कपास किसानों की विपदा

4098. श्री वामसि कृष्णा गद्दामः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेलंगाना में विशेषकर पेद्दापल्ली,वारंगल और खम्मम जैसे जिलों में बाजार मूल्यों और आदान लागतों में उतार-चढ़ाव के कारण नुकसान में वृद्धि का सामना कर रहे कपास किसानों की बढ़ती विपदा का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने अपर्याप्त बीमा कवरेज और दावों में विलंब का इन किसानों की वित्तीय स्थिति पर पड़ रहे प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) कपास किसानों, विशेषकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, के लिए ऋण और आदान राजसहायता की सुविधा बढ़ाने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार तेलंगाना में कपास बाजार में उतार-चढ़ाव को स्थिर करने और फसल बर्बाद होने तथा आर्थिक तंगी के कारण किसानों द्वारा बार-बार की जाने वाली आत्महत्याओं को रोकने के लिए किन्हीं दीर्घकालिक रणनीतियों पर विचार कर रही है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): प्रत्येक वर्ष, सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर कपास सहित 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। एमएसपी को उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे पर निर्धारित किया जाता है। आदान लागत में वृद्धि को उत्पादन लागत की गणना में शामिल किया जाता है।

बाजार में कीमतें एमएसपी से कम हो जाने पर कपास किसानों को दबावग्रस्त बिक्री से बचाने के लिए, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कपास किसानों से कपास की खरीद भी करेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमएसपी योजना का लाभ तेलंगाना राज्य के सभी किसानों तक पहुंचे, सीसीआई ने 30 जिलों में 110 खरीद केंद्र खोले हैं। इनमें से पेड्डापल्ली में 3 केंद्र, वारंगल में 4 केंद्र और खम्मम में 5 केंद्र खोले गए हैं, ताकि अधिकतम कपास किसानों को शामिल किया जा सके।

वर्तमान कपास मौसम 2024-25 के दौरान, सीसीआई ने दिनांक 17.03.2025 तक तेलंगाना में 15,556 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 210.19 लाख क्विंटल कपास (40.37 लाख गांठों के समतुल्य) की खरीद की है, और इससे लगभग 9 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इनमें से पेड्डापल्ली जिले में 0.63 लाख गांठें (मूल्य 239 करोड़ रुपये), वारंगल जिले में 3.26 लाख गांठें (मूल्य 1260 करोड़ रुपये) और खम्मम जिले में 1.04 लाख गांठें (मूल्य 406 करोड़ रुपये) की खरीद की गई हैं।

सरकार ने पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) डेटा का एकल स्रोत है जो सब्सिडी भुगतान, समन्वय, सूचना के पारदर्शी प्रसार और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। दावा संवितरण प्रक्रिया की पूर्ण निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए 'डिजिक्लेम मॉड्यूल' नामक एक समर्पित मॉड्यूल कार्यान्वित है। शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच) विकसित की गई है।

संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत, काश्तकारों सहित किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण प्राप्त होते हैं। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% का अग्रिम ब्याज अनुदान (आईएस) प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋणों की समय पर वापसी अदायगी करते हैं, उन्हें 3% त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) प्राप्त होता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% प्रति वर्ष हो जाती है।

राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली आदान सब्सिडी के अतिरिक्त, केंद्र सरकार 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप', 'कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम)' आदि योजनाएं भी कार्यान्वित करती है जो किसानों को सहायता प्रदान करती है। सरकार किसानों को सब्सिडी युक्त उर्वरक की उपलब्धता भी सुनिश्चित करती है। कपास बीज मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 के तहत, कपास किसानों को उचित मूल्य पर बीज उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक वर्ष बीटी कपास की कीमतें निर्धारित की जाती हैं।

सरकार कपास का उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के अंतर्गत कपास विकास कार्यक्रम का भी कार्यान्वयन कर रही है।

*****